निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

सं0सं0–11 / टी0बी0(कोर्ट)–23 / 2024–19.......(11) / पटना, दिनांक–08/01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के विज्ञापन संख्या–01 / 1997 के माध्यम से बी०सी०जी० प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

2. उक्त के आलोक में निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के आदेश ज्ञापांक–936(11), दिनांक–15.09.2018 के द्वारा निम्न कर्मियों को नियुक्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–981(11), दिनांक–28.09.2018 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों में पदस्थापित किया गया।

1. **मो० अनवर खुर्शीद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जहानाबाद,
2. **श्री सुधाशु भूषण,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, भोजपुर, आरा,
3. **श्री अशोक कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, नालंदा,
4. **श्री संजय कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जहानाबाद,
5. **श्री कृष्णा प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, औरंगाबाद,
6. **श्री अमोद चन्द्र दत्ता,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सहरसा,
7. **श्रीमती उमा देवी,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, राज्य यक्ष्मा कार्यालय, पटना,
8. **श्री अशोक कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, औरंगाबाद,
9. **श्री सुजय कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, वैशाली,
10. **श्री अवधेश प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, नवादा,
11. **श्री अरविन्द प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, भागलपुर,
12. **श्री मुशन लाल,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान,
13. **श्री अरूण कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, भभुआ,
14. **श्री ब्रज किशोर प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सहरसा,
15. **श्री अरविन्द्र प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी, टी0बी0डी0सी0, पटना,
16. **श्री विजय कुमार,** बी0सी0जी0 दलनायक, टी0बी0डी0सी0, पटना,
17. **श्री शशि कुमार,** बी0सी0जी0 दलनायक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जहानाबाद,
18. **श्री शत्रुसुदन कुमार,** बी0सी0जी0 दलनायक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, वैशाली

3. उपरोक्त कर्मियों की नियुक्ति दिनांक–31.08.2005 के उपरांत होने के कारण इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, जिसके कारण उपरोक्त कर्मियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या–3114 / 2019 अरबिन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–28.02.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"6. In the light of the submissions made by the parties, this Court disposed of this writ petition directing the petitioners to file representation before the Respondent No. 2 i.e. The Director-in-Chief, Health Services, Government of Bihar, New Secretariat, Patna who shall take decision on the representation filed by the petitioners within 90 days from the date of filing of the fresh representation along with the order passed by this Court."

4. उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1206(पें0), दिनांक–28.11.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता / आवेदक से विकल्प की मांग की गई तथा उक्त संकल्प के आलोक में इसकी समीक्षा की गई।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1206(पें0), दिनांक–28.11.2023 के कंडिका–4 में पुरानी पेंशन योजना से अच्छांदित करने हेतु निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रस्तुत मामले की स्थिति निम्नवत हैः–

(क) प्रस्तुत मामले से संबंधित विज्ञापन वर्ष 1997 में प्रकाशित हुआ था। इससे स्पष्ट है कि विज्ञापन/रिक्ति दिनांक–01.09.2005 से काफी पूर्व का था।

(ख) उपर्युक्त विज्ञापन संख्या–01/97 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ष 2000 में पुरानी पेंशन योजना के तहत की गई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर अवमाननावाद संख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या–133/2003, सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2018 में नयी पेंशन योजना के तहत की गई है। यह संकल्प की कंडिका–4(ii) की शर्त्त के अनुरूप है।

(ग) प्रस्तुत नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भिक स्तर से ही न्यायिक वादों से अच्छादित रही है, जो संकल्प की कंडिका–4 (iii) की शर्त्त के अनुरूप है।

6. उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3114/2019 में दिनांक–28.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में क्रमांक–01 से 18 तक के बी0सी0जी0 प्रावैधिक/बी0सी0जी0 दलनायक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने एवं योगदान की तिथि 16.03.2000 से वैचारिक लाभ एवं वास्तविक नियुक्ति की तिथि से आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8/1/26

{डॉ० (श्रीमती) रेखा झा}
निदेशक प्रमुख,
(रोग नि0, लोक स्वा0 एवं पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–11/टी0बी0(कोर्ट)–23/2024–19......(11)/ **पटना, दिनांक**– 08/01/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), अगमकुऑ, पटना/अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुऑ, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जहानाबाद, भोजपुर (आरा), नालंदा, औरंगाबाद, सहरसा, पटना, वैशाली, नवादा, भागलपुर, सिवान एवं भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद, भोजपुर (आरा), नालंदा, औरंगाबाद, सहरसा, पटना, वैशाली, नवादा, भागलपुर, सिवान एवं भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित बी0सी0जी0 प्रावैधिक एवं बी0सी0जी0 दलनायकों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

8/1/26

निदेशक प्रमुख,
(रोग नि0, लोक स्वा0 एवं पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना